बिहार सरकार
समाहरणालय, सीवान
सीवान –841226
(जिला गोपनीय शाखा)

दूरभाष 06154–242099 (कार्या0)
06154–242860 (कार्या0)
06154–242098 (आवास)
06154–242348 (फैक्स)
email: dm-siwan.bih@nic.in

जिला पदाधिकारी, सीवान की अध्यक्षता में दिनांक–27.05.2019 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समन्वय (Coordination) बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विभागवार कार्य की प्रगति की समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

1.1–**विधि शाखा– प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में एम0जे0सी0 के निम्न मामले लम्बित हैः–**

क्र0	एम0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	एम0जे0सी0 नं0– /19 बलिन्द्र चौधरी बनाम बिहार राज्य	प्रखण्ड विकास पदा0, जीरादेई	बताया गया कि यह मामला वर्ष 2009 में दान स्वरूप दी गयी भूमि पर विद्यालय का निर्माण न कराकर दूसरी भूमि पर निर्माण कराया गया है। जिला शिक्षा पदा0 को निदेश दिया गया कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को निदेश निर्गत करें कि तुरंत संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से वांछित कागजात प्राप्त कर एस0ओ0एफ0 तैयार करवाना सुनिश्चित करें।
2	एम0जे0सी0 नं0– /19 हीरालाल प्रसाद बनाम बिहार राज्य	अंचलाधिकारी, बडहरिया	बताया गया कि यह Contempt है एवं अतिक्रमण से संबंधित मामला है। अपर समाहर्त्ता, सीवान को निदेश दिया गया कि अंचलाधिकारी के माध्यम से अविलम्ब एस0ओ0एफ0 तैयार कर जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3	एम0जे0सी0 नं0– /19 रमेश उपाध्याय बनाम बिहार राज्य	अंचलाधिकारी, दरौंदा	अपर समाहर्त्ता, सीवान को संबंधित अंचलाधिकारी के माध्यम से एस0ओ0एफ0 तैयार कराकर अविलम्ब जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
4	एम0जे0सी0 नं0– /19 ब्रजकिशोर सिंह बनाम बिहार राज्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा पदा0 तुरंत एस0ओ0एफ0 तैयार करवाकर जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने हेतु हेतु निदेश दिया गया।
5	एम0जे0सी0 नं0– /2019 लालजी प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी,सीवान	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेज दिया गया है, लेकिन एस0ओ0एफ0 दायर होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
6	एम0जे0सी0 नं0– /2019 रविन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि एस0ओ0एफ0 तैयार कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को भेज दिया गया है, लेकिन एस0ओ0एफ0 दायर होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
7	एम0जे0सी0 नं0–4072/18 सुनील कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी	प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा द्वारा बताया गया कि यह मामला जिलाधिकारी के न्यायालय में सुनवाई में चल रही है।
8	एम0जे0सी0 नं0– /19 ओमप्रकाश राम बनाम बिहार राज्य	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान	जिला पंचायत राज पदाधिकारी को शीघ्र एस0ओ0एफ0 तैयार कर जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
9	एम0जे0सी0 नं0– /19 रविन्द्रनाथ सिन्हा बनाम बिहार राज्य	जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान	बताया गया कि यह मामला संविदा पर शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है। जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान को निदेश दिया गया कि इस मामले से संबंधित संचिका एवं पूर्व में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 में भेजे गए एस0ओ0एफ0 की छाया प्रति के साथ प्रभारी पदा0, जिला विधि शाखा से समन्वय कर कारगर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

1.2–बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के तहत निम्नलिखित मामलों में भी निर्धारित समय–सीमा के अंदर तथ्य विवरणी दाखिल किया जाना आवश्यक है :–

क्र0	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या	सम्बंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–7571/19 विजेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य	अनु0पदा0,सीवान सदर/ अंचल अधिकारी, पचरूखी	बताया गया कि यह मामला भूमि अतिक्रमण से संबंधित है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान को निदेश दिया गया कि अविलम्ब संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से एस0ओ0एफ0 तैयार कर जिला विधि शाखा को उपलबध कराना सुनिश्चित करें।
2	सी0डब्ल्यू0जे0सी0 नं0–21597/18 जगदीश सिंह बनाम बिहार राज्य	अनु0पदा0,सीवान सदर/ अंचल अधिकारी, पचरूखी	

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर वे निरंतर लंबित एम0जे0सी0/सी0डब्ल्यू0जे0सी0 के मामलों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय–सीमा के अंदर प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दाखिल हो जाय। **(अनु0–सभी जिलास्तरीय पदा0)**

2–लोक शिकायत निवारण:– बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

3–आर0टी0पी0एस0– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार सभी पंचायत सरकार भवनों (सामुदायिक भवन/निजी भवन में संचालित पंचायत सरकार भवन को छोड़कर) में दिनांक 15.08.2019 के पूर्व आर0टी0पी0एस0 काउण्टर को संचालित किया जाना है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर एवं महाराजगंज को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अपने अनुमण्डलान्तर्गत प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं पंचायत सचिवों के साथ बैठक आयोजित कर सभी पंचायत सरकार भवनों में आर0टी0पी0एस0 काउण्टर को संचालित करवाने हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी विभागीय दिशा–निर्देश का विस्तृत ब्यौरा सभी अनुमण्डल पदाधिकायिों एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे एवं प्राप्त समेकित प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। **(अनु0–जिला पंचायत राज पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज)**

4–विद्युत :– बताया गया कि कोई समस्या नहीं है।

5–बाढ़ नियंत्रण:– कोई समस्या प्रतिवेदित नहीं की गई।

6–सेवान्त लाभ :–स्थापना उप समाहर्त्ता, सीवान द्वारा बताया गया कि परिवाद सं0–02/लोक (राजस्व) 59/2010 में दर्ज वाद में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 07.01.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 31.03.2019 तक सभी सम्बन्धित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये सेवानिवृत्ति लाभ का दिनांक 31.05.2019 तक भुगतान किया जाना है। इस आशय से संबंधित पत्र सभी कार्यालय को जल्द ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सन्दर्भ में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उक्त निदेश के आलोक में समय–सीमा के अन्दर भुगतान करना सुनिश्चित करें। **(अनु0–सभी निकासी एवं व्ययन पदा0)**

6–सामान्य शाखा–

6.1–बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग–बताया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदा0 का पदनाम, जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	कलामुद्दीन अंसारी, पिता–राजुदीन अंसारी, ग्राम–इस्लामियां नगर, सिसवन ढ़ाला, जिला– सीवान का परिवाद पत्र	889 दि0 21.04.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	माना कुँवर, पति– स्व0 हरि सिंह, ग्राम–सिपाह, थाना–बसंतपुर, जिला– सीवान का परिवाद पत्र	1587 दि0 09.07.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
3	श्रीमती कुसुम देवी, पति– ललन भगत, थाना–भगवानपुर हाट का परिवाद पत्र	339/सा0 दि0 07.02.19	अंचल अधिकारी, भगवानपुर हाट	बताया गया कि वांछित प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।
4	हाजरा खातून, पति– मुन्ना अंसारी, ग्राम–थाना आंदर,जिला–सीवान का	3145 दि0–26.10.18	थानाध्यक्ष, आंदर	स्मार देने का निदेश दिया गया।

	परिवाद पत्र			
5	श्री ब्रजेश पाण्डेय, पिता–स्व0 दुर्गा पाण्डेय,ग्राम–चकरी, थाना– दरौली, जिला सीवान का परिवाद पत्र	236 दिनांक–24.01.19	पुलिस अधीक्षक, सीवान	अविलम्ब प्रतिवेदन मंगाने का निदेश दिया गया।
6	मिनहाज एवं अन्य, ग्राम–हबीबपुर, बड़हरिया	471 दिनांक 08.03.2019	अंचलाधिकारी, बड़हरिया	अविलम्ब प्रतिवेदन मंगाने का निदेश दिया गया।
7	श्री संजय कुमार साह, ग्राम–नवापाली, सीवान	791 दिनांक 20.04.2019	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सीवान	अविलम्ब प्रतिवेदन मंगाने का निदेश दिया गया।
8	श्री रहमान मियाँ, पिता–आस मोहम्मद मियाँ	792 दिनांक 20.04.2019	प्रखण्ड विकास पदा0, बसंतपुर	अविलम्ब प्रतिवेदन मंगाने का निदेश दिया गया।

6.2–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–बताया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित मामले लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम,जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	रोपना उरावं, ग्राम–चन्दकोपी, प्रखंण्ड बेरो, जिला–रांची का परिवाद पत्र	994 मु0 दि0 17.12.18	अनु0 पदाधिकारी, महाराजगंज	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।

6.3–राष्ट्रीय एवं बिहार अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग:–बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से प्राप्त निम्नलिखित परिवाद पत्र अनुपालन हेतु लम्बित हैं:–

क्र0	पत्र का विषय	भेजे गए पत्र की संख्या एवं दिनांक	पदाधिकारी का पदनाम,जिन्हें पत्र कार्रवाई हेतु भेजा गया है।	अभ्युक्ति
1	बसंतपुर थाना काण्ड सं0–305/17 में नामजदों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु श्री त्रिभुवन राम का आवेदन पत्र	पत्रांक–286 दि0–18.01.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
2	श्री अशोक साह पे0 स्व0 नागेश्वर साह के परिवाद पत्र के सम्बंध में।	205 दि0 18. 01.18	अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, महाराजगंज	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष से दूरभाष पर सम्पर्क कर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेश दिया गया।
3	श्रीमती उषा देवी पति– स्व0 ललन साह, ग्राम–कौड़िया, थाना– भगवानपुर हाट, जिला– सीवान का परिवादपत्र	1518 दि0 02. 07.18	प्र0वि0पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	लम्बे समय से प्रतिवेदन लंबित रहने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और अंचलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को निदेश दिया गया।
4	श्री मनन बैठा, पिता–स्व0 यगु बैठा, रघुनाथपुर	743 दिनांक 18.04.2019	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
5	श्री मोहर राम एवं अन्य ग्राम महम्मदपुर, थाना–जी0बी0नगर का खतियानी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बंध में परिवाद	1475 दि0 22.09.18	अंचलाधिकारी, गोरेयाकोठी	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
6	श्री सच्चिदानंद साधु, ग्राम रजनपुरा,थाना– एम0एच0 नगर का परिवाद	1329 दि0 11.06.18	पुलिस अधीक्षक, सीवान	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का निदेश दिया गया।
7	श्री राजीव कुमार साह,की ज़मीन पर संतोष प्रसाद नामक व्यक्ति ने बलात कब्जा किया है।	3539 दि0 17. 12.18	अंचल अधिकारी महाराजगज	कड़ा स्मार देने का निदेश दिया गया।
8	तारा देवी, अनु0 जाति थाना	742 दिनांक	पुलिस अधीक्षक,	जिलाधिकारी के स्तर से स्मार देने का

सी0एम0 डैश बोर्ड से सम्बंधित मामले अब तक लम्बित रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया और निदेश दिया गया कि सभी सम्बंधित पदाधिकारी अविलम्ब प्रतिवेदन आई0टी0 मैनेजर को उपलब्ध करा दें और यदि कोई पत्र उन्हें नहीं मिला है तो आई0टी0 मैनेजर से प्राप्त कर लें।**(अनु0—आई0टी0 मैनेजर/सभी सम्बंधित पदाधिकारी)**

8.3—जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2006—07 में पशुगणना हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी थी। इससे संबंधित 12,83,853 रु0 एवं 2,01,334 रु0 का दो विपत्रों का डी0सी0 विपत्र संबंधित कार्यालय में जमा करवाने हेतु निदेश प्राप्त है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र डी0सी0 विपत्र संबंधित कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। **(अनु0—प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान)**

8.4— जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान द्वारा यह भी बताया गया कि विभागीय निदेशानुसार नगर परिषद् अन्तर्गत एवं देहाती क्षेत्रों में आवारा पशुओं का बन्ध्याकरण एवं टीकाकरण किया जाना है, इसके लिए जिला स्तर से कर्मी उपलब्ध करायी जाय। निदेश दिया गया कि अपने स्तर से विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0— जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीवान)**

8.5— प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, सीवान सदर द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में उनके शाखा में एक भी कार्यपालक सहायक पदस्थापित नहीं हैं, अतएव 02 कम्प्यूटर सहायकों को पदस्थापित किया जाय। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि प्रखण्डों में पेंशन डाटा की प्रविष्टि हेतु 20 कार्यपालक सहायकों को पदस्थापन की कार्रवाई की जाय। इस प्रसंग में सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कार्यपालक सहायकों की रिक्तियों के संबंध में लिखित में जिला स्थापना शाखा को उपलब्ध करायी जाय। स्थापना उप समाहर्त्ता, सीवान को निदेश दिया गया कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संचिका में अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। **(अनु0—सभी संबंधित पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्त्ता, सीवान)**

8.6— बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को "सात निश्चय योजना" की समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। अतएव सभी संबंधित पदाधिकारी अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर एवं महाराजगंज को निदेश दिया गया कि शनिवार को छोड़कर प्रत्येक सप्ताह के किसी दिन निर्धारित कर अपने अनुमण्डलान्तर्गत संबंधित पदाधिकारियों के साथ पेयजल निश्चय योजना, गली—नाली पक्कीकरण योजना, स्वच्छ भारत मिशन एवं आर0टी0पी0एस0 काउण्टर की समीक्षा बैठक करेंगे एवं समीक्षा बैठक की कार्यवाही तैयार कराते हुए अधोहस्ताक्षरी की अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेंगे। **(अनु0—जिला पंचायत राज पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी, सीवान सदर/महाराजगंज/सभी संबंधित पदाधिकारी)**

8.7—सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि लोक सभा चुनाव—2019 के मद्देनजर सभी प्रकार के विपत्रों को दिनांक 31.05.2019 के पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष संचिका में उपस्थापित करें, ताकि ससमय संबंधित को भुगतान किया जा सके। **(अनु0—उप विकास आयुक्त/जिला परिवहन पदा0/उप निर्वाचन पदा0/सभी संबंधित कार्यालय प्रधान)**

8.8—आई0टी0 मैनेजर, सीवान को निदेश दिया गया कि ई0भी0एम0 कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आदेश निर्गत करें एवं अम्बेदकर भवन में रखे अव्यवहृत/Defective ई0भी0एम0 का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। **(अनु0—नोडल पदा0, ई0भी0एम0/आई0टी0 मैनेजर)**

8.9—प्रभारी पदाधिकारी, जिला नजारत शाखा द्वारा बताया गया कि शना चाईल्ड हेल्थ नर्सिंग होम का बायो मेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करायी जाय, ताकि विभाग को प्रतिवेदित किया जा सके। **(अनु0—सिविल सर्जन, सीवान)**

8.10—उप विकास आयुक्त द्वारा कहा गया कि सात निश्चय योजना के अन्तर्गत सीवान जिला का रैंकिंग नीचे चला गया है। उक्त के आलोक में प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को जिला स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों के

साथ बैठक आयोजित कीं जायेगी। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी उक्त दिवस के अतिरिक्त सप्ताह के किसी दिन निर्धारित कर अपने–अपने अनुमण्डलान्तर्गत संबंधित पदाधिकारियों के साथ सात निश्चय योजना की समीक्षा बैठक आयोजित कर अग्रेत्तर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। **(अनु0–उप विकास आयुक्त/जिला पंचायत राज पदा0/अनुमण्डल पदा0, सीवान सदर/महाराजगंज)**

8.11–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर मध्याह्न भोजन योजना के संवेदक के अनुबंद्ध को पुनर्जिवित करने हेतु टेन्डर निर्गत करने हेतु सारी प्रक्रिया पूर्ण कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें। **(अनु0–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान)**

8.12–सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने कार्यालय के पदाधिकारी, कर्मियों का CFMS के तहत वेतन भुगतान की कार्रवाई दिनांक 31.05.2019 तक करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की समस्या होने पर वरीय कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सीवान से समन्वय कर इसका निष्पादन करेंगे। **(अनु0–सभी कार्यालय प्रधान/आई0टी0मैनेजर, सीवान)**

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

28/5/19

29.05.19

जिलाधिकारी, सीवान

ज्ञाप सं0–1162/सी0 दिनांक– 29 वीं मई, 2019 ई0

प्रतिलिपि–पुलिस अधीक्षक,सीवान को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप विकास आयुक्त,सीवान/अपर समाहर्ता,सीवान/निदेशक,लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन,जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,सीवान/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी,सीवान/सिविल सर्जन,सीवान/ सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल पदाधिकारी,सीवान,महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्ता,सीवान,महाराजगंज/समाहरणालय की सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारियों/अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सीवान/ महाराजगंज/वरीय कोषागार पदाधिकारी,सीवान/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी/ सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों/ कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/आई0टी0मैनेजर, सीवान को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

28/5/19

29.05.19

जिलाधिकारी, सीवान